न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 16/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. बद्रीलाल पिता मदनलाल नुवाल (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बंशीलाल पिता मदनलाल नुवाल (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता मदनलाल नुवाल (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. गोटीलाल पिता मदनलाल नुवाल (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. अर्जुनलाल पिता मदनलाल नुवाल (महाजन) निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. घीसी बेगम पत्नि आजाद खां पठान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. सत्यनारायणदास पिता मीठादास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. जगदीश पिता मीठादास वैष्णव निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7.हीरालाल पिता लेहरू जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. गोपी पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. दौला पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10 तुलछीराम पिता भागीरथ जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
2. हरिश टेलर —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 03.04.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की सयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी स. 3061 रकबा 0.24 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जो खाता संख्या 458 पर दर्ज है। प्रमाण में नकल जमाबन्धी 2071 से 2074 तक मय नक्शा ट्रेस के साथ पेश हैं। उक्त आराजियात के सीमा संबधी के कोई मुस्तकिल निशानात नही जिससे प्रार्थीगण व विपक्षीगणो के मध्य सीमा संबधी विवाद बनें रहते है जिससे प्रार्थीगण अपनी इस आराजी की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है । इस हेतु वे शुल्क भी जमा करान को तैयार है अस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ रहा है। विपक्षीगणो को पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थीगण ने कई बार कहा किन्तु वे हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रह है। प्रार्थीगण ने दिनांक 11.01.2019 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थना पत्र अन्दर अवधी पेश कर रहे बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 11.01.19 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है । विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 भूमि के सह खातेदार है किन्तु प्रार्थना पत्र पेश करते समय उपलब्ध नही होन`से

उन्हे विपक्षीगण बनाया गया है। तथा विपक्षीगण संख्या 4 लगायत 10 भूमि के पड़ौसी होने से पक्षेार बनाया है ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 30.01.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी 4 से 10 तक बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी संख्यष 1 से 3 के विरूद्व प्रार्थीगण के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की सयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी स. 3061 रकबा 0.24 हैक्ट. भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। जो खाता संख्या 458 पर दर्ज है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 100/– अक्षरे एक सो रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा